

# Hindi



**बैंक ऑफ महाराष्ट्र**  
**Bank of Maharashtra**  
भारत सरकार का उद्यम  
**एक परिवार एक बैंक**

प्रधान कार्यालय, लोकमंगल  
1501, शिवाजीनगर, पुणे, 5

## सार्वजनिक सूचना

जनसामान्य और विशेष रूपसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ग्राहकों को यह सूचित किया जाता है की बैंक ने दिनांक 14 जनवरी, 2019 से निम्नलिखित तालिका में कॉलम क्र. 4 में उल्लेखित शाखाओं का विलय कॉलम क्र. 6 में उल्लेखित शाखाओं में करने का निर्णय लिया है।

1	2	3	4	5	6
क्र.	अंचल	शाखा कूट	विलय की जाने वाली शाखा का नाम	शाखा कूट	मूल/अंतर्विहित शाखा का नाम
1	अहमदाबाद	1399	एस. जी. हाइवे अहमदाबाद	1516	सेटेलाईट, अहमदाबाद
2	अहमदनगर	576	अहमदनगर, चितळे रोड	24	अहमदनगर शहर
3	अहमदनगर	1220	श्रीरामपुर - दशमेशनगर	29	श्रीरामपुर
4	बेंगलुरु	374	मैसूर	948	मैसूर- जयलक्ष्मीपुरम
5	बेंगलुरु	423	अनगोळ, बेलगांव	159	बेलगांव - टिळकवाडी
6	कोल्हापुर	1681	गांधीनगर (कोल्हापुर)	1953	शिरोली (पुलाची)
7	कोल्हापुर	1820	यादरव	1680	हातकणंगले
8	मुंबई	16	मुंबई - रानडे रोड, दादर	980	मुंबई - गडकरी चौक, दादर
9	मुंबई	334	मुंबई-ग्रांट रोड	67	मुंबई - एस. पी. रोड
10	मुंबई	493	मुंबई - नेपीयन सी रोड	155	मुंबई - ताडदेव रोड
11	मुंबई	1503	मुंबई - नाहूर	128	मुंबई - भांडुप
12	मुंबई	1887	मुंबई - कांदिवली लिंक रोड	1149	मुंबई - कांदिवली पश्चिम (चारकोप)
13	नागपुर	1449	वीसीए स्टेडियम, नागपुर	1195	नागपुर - म्युनिसिपल कारपोरेशन, नागपुर
14	नागपुर	241	नागपुर - भरतनगर	60	नागपुर - धरमपेट
15	सोलापुर	1221	सिविल अस्पताल शाखा, सोलापुर	163	सोलापुर - सोलापुर कैंप

यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु समुचित सावधानी बरती जा रही है कि विलय के समय और विलय पश्चात की प्रक्रिया के दौरान बैंक के ग्राहकों को कोई भी असुविधा नहीं होगी। जिस शाखा में विलय किया जा रहा है, उसमें सभी ग्राहकों के खाते उसी खाता क्रमांक के साथ जारी रहेंगे।

ग्राहकों से एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि कृपया उपर्युक्त परिवर्तन, जो दि. 14/01/2019 से प्रभावी होगा, को ध्यान में लें। उनसे यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया जाता है कि वे उक्त प्रभावी दिनांक से नई शाखा में अपने खाते संचालित करें। विलय की जानेवाली शाखा में जिन ग्राहकों के लॉकर हैं उन्हें दि. 09/01/2019 को या उससे पहले अपने लॉकर को संचालित करने और उनके सभी कीमती सामानों को हटाने का अनुरोध किया जाता है ताकि उन्हें कोई नुकसान या क्षति न हो।

विलय की जानेवाली शाखा से लॉकर केबिनेट का स्थलांतर करते समय लॉकर में कीमती सामानों को होनेवाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। कृपया इसे नोट करें।

जिन ग्राहकों ने ऊपर उल्लेखित विलय की जानेवाली शाखाओं से चेक बुक सुविधा प्राप्त की है, उनसे अनुरोध है कि वे विलय के पश्चात (दि. 14/01/2019 को या उसके बाद) मूल शाखा/अंतर्विहित शाखा में उपयोग न की गई चेक बुक जमा कर दें और दि. 31/01/2019 से पूर्व मूल शाखा से नई चेक बुक प्राप्त कर लें।

कृपया नोट करें कि विलय की गई शाखाओं के एमआईसीआर/ आईएफएससी कूट विलय के पश्चात प्रणाली में से हटा दिए जाएंगे। अतः सभी से अनुरोध किया जाता है कि दि. 14/01/2019 से सभी संव्यवहारों के लिए मूल/आधार शाखा का एमआईसीआर/ आईएफएससी कूट उपयोग करें।

किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर और/ या किसी भी कठिनाई में ग्राहक संबंधित शाखा के शाखा प्रबंधक और महासेवा विभाग (ग्राहक सेवा) - 7387086390/91/92 से संपर्क कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र

12cm x 18cm